न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)

पीठासीन अधिकारी– ओमप्रकाश वर्मा आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या : 53 / 2024
निर्णय दिनांक : 28.08.2024

भगवानसिंह पुत्र दुर्गासिंह जाति रावणा राजपूत उम्र 67 वर्ष निवासी ग्राम खारिया बड़ा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)

प्रार्थी.....

बनाम

तहसीलदार जरिये अपर लोक अभियोजक, सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)

अप्रार्थी.....

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–
1.श्री भंवरलाल जांगीड़ अधिवक्ता प्रार्थी।
2.अप्रार्थी तहसीलदार सुजानगढ़।

निर्णय

संक्षिप्त में प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ग्राम खारिया बड़ा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.) का स्थाई निवासी है। सीमा ग्राम खारिया बड़ा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.) में प्रार्थी के खातेदारी के खेत ख.नं. 171 तादादी 2.0232 हैक्टेयर बारानी अव्वल, ख.नं. 49 तादादी 8.9779 हैक्टेयर, ख.नं. 67 तादादी 3.7935 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल तादादी 14.7946 हैक्टेयर भूमि स्थित है। यह कि प्रार्थी के खातेदारी में खेत ख.नं. 171 तादादी 2.0232 हैक्टेयर व ख.नं. 67 तादादी 3.7935 हैक्टेयर के मध्य एक रास्ता ख.नं. 160 राजस्व रेकार्ड में नक्शा में अंकित है। उक्त रास्ता प्रार्थी के खातेदारी खेत ख.नं. 171 तादादी 2.0232 हैक्टेयर के पूर्वी सीमा के दक्षिण से उतर की तरफ व खेत ख.नं. 171 की उतरी सीमा पर जाकर पश्चिम तरफ उतरी सीमा के पास खेत ख.नं. 171 की अंतिम सीमा तक चलता है जो मौका पर कायम है एवं इस रास्ता से जाने वाले काश्तकार व अन्य व्यक्ति, ट्रेक्टर, ऊँटगाड़ी आदि से आवागमन करते है एवं रास्ते के रूप में यही रास्ता काम में आता है जो आवागमन के लिए सुलभ एवं सुगम रास्ता है। यह रास्ता वर्तमान प्रचलन में है तथा इसकी चौडाई करीब 20 फुट 25 फुट है, जबकि नक्शा में अंकित रास्ता की चौडाई 2 गठा (16 /) फीट) है जबकि मौका पर स्थित रास्ता 20 फुट से 25 फुट चौडाई का होने से आवागमन में किसी प्रकार की ना तो बाधा है तथा रास्ता भी एकदम समतल है, जिससे आवागमन में सुगमता रहती है। खेत ख.नं. 171 एवं खेत ख.नं. 67 प्रार्थी के स्वयं के खातेदारी के खेत है, जिनके बीच में रास्ता होने में प्रार्थी को अपनी फसलो की सुरक्षा एवं पेड़–पौधे लगाने में एवं उनकी सुरक्षा करने में असुविधा होते है तथा खर्च भी उठाना पड़ता है तथा दोनों खेतों में एकल है। प्रार्थी का अपनी भूमि फसल लेने में व जाने में सुविधा व सुगमता रहेगी एवं प्रचलित रास्ता मौके पर समतल व ज्यादा चौड़ा होने से आवागमन करने वालो को कोई असुविधा नहीं होगी। यह कि नक्शा में

उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ

अंकित रास्ता की बजाय प्रचालित रास्ता में प्राथी की खातेदारी की दोगुना जमीन लगती है, जो रास्ता को प्रचालित रास्ता की जगह पर कायम करवाने पर प्रार्थी अपने खातेदारी में से कम करवाने के लिए सहमत है। यह कि नक्शा में अंकित रास्ता से वर्तमान समय में प्रचालित रास्ता की चौड़ाई ज्यादा है तथा रास्ता भी समतल एव आवागमन के लिए सुगम है, परन्तु रास्ता प्रार्थी के खातेदारी में दोनों खसराजात के बीच में रास्ता नक्शा में अंकित होने से प्रार्थी को भारी असुविधा व नुकसान होता है, इसलिए प्रार्थी के लिए आवश्यक हो गया कि वह नक्शा में अंकित रास्ता की बजाय प्रचालित रास्ता की जगह रास्ता कायम करवाकर नक्शा में अंकित करवाये तथा वर्तमान में अंकित रास्ता को राजस्व रेकार्ड में हटाया जावे एवं अंकित रास्ता की जगह प्रचालित रास्ता कायम किया जावे तथा मौका पर प्रचालित रास्ता की भूमि का माप किया जाकर रास्ता की भूमि में प्रार्थी की खातेदारी की भूमि ज्यादा लगती है, उससे प्रार्थी की खातेदारी खेत ख.नं. 171 में से कम कर दिया जावे एवं खेत ख.नं. 171 के पूर्वी व उतरी सीमा में आम रास्ता कायम कर दिया जावे। यह कि प्रार्थी ने बार–बार पटवारी हल्का व तहसीलदार, सुजानगढ़ से मौखिक निवेदन किया परन्तु कोई कार्यवाही नहीं की एवं दिनांक 19.12.2023 को नायब तहसीलदार, सालासर से निवेदन किया तो नायब तहसीलदार, सालासर ने प्रचलित रास्ता को कायम करने से मना कर दिया। लिहाजा यही तारीख मुकाम विनाय मुखारसमद प्रार्थना पत्र है।

यह कि प्रार्थी के खातेदारी के खेत ख.नं. 171 तादादी 2.0232 हैक्टेयर बारानी अव्वल, ख.नं. 49 तादादी 8.9779 हेक्टेयर, ख.नं. 67 तादादी 3. 7935 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल तादादी 14.7946 हैक्टेयर सीमा ग्राम खारिया बड़ा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.) में स्थित है, इसलिए प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार प्राप्त है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पर्याप्त न्यायशुल्क व मियाद अवधि भितर प्रस्तुत है। अतः प्रार्थना पत्र श्रीमान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन हैं कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर खेत ख.नं. 171 तादादी 2.0232 हैक्टेयर व ख.नं. 67 तादादी 3.7935 हैक्टेयर सीमा ग्राम खारिया बड़ा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.) के मध्य अंकित रास्ता को राजस्व रेकार्ड से हटाया जावे एवं ख.नं. 171 तादादी 2.0232 हैक्टेयर नक्शा वाके रोही ग्राम खारिया बड़ा के पूर्वी सीमा के पास दक्षिण से उतर एवं उतरी सीमा के पास पूर्व में पश्चिम पर मौजूद प्रचलित रास्ता की मौके पर माप कर राजस्व रेकार्ड में अंकर एवं 160 की रास्ता की भूमि प्रचलित रास्ता को राजस्व रिकार्ड में अंकित करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार सुजानगढ़ को तलब किया गया। जिस पर अप्रार्थी ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर अवगत करवाया है कि मुताबिक रिपोर्ट पटवारी रोही ग्राम खारिया बड़ा के खसरा संख्या 67 व 171 में से चालू कटाणी रास्ता जिसका खसरा संख्या 160 है, को प्रार्थी भगवानसिंह पुत्र दुर्गासिंह ने मिट्टी डालकर बन्द कर दिया है। डाली गई मिट्टी पर मौके पर फसल काश्त की हुई है। इस बन्द रास्ते पर धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रार्थी के विरूद्ध दिनांक 30.10.2023 से न्यायालय में विचाराधीन है।

रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर उभयपक्ष को सुना गया। बाद सुनवाई पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात आदि का गहनता से अवलोकन किया गया। वर्तमान जमाबन्दी संवत् 2075–78 रोही ग्राम खारिया बड़ा के अवलोकन से स्पष्ट है कि खसरा संख्या 160 गै.मु. रास्ता के नाम से खाता संख्या 1 में दर्ज स्थित है। उक्त रास्ता खातेदार प्रार्थी श्री भगवान सिंह अपने नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज खसरा संख्या संख्या 171 व 67 के बीचों बीच से खसरा संख्या 169 की सींव से होते हुए खसरा संख्या 170 की सींव के साथ अपनी खातेदारी भूमि खसरा संख्या 171 में दर्ज करवाना चाहता है। मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार उक्त रास्ता खातेदार प्रार्थी

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ

भगवानसिंह ने पूर्व में बंद कर दिया था जिस पर धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही न्यायालय में जैरकार है जिसका अंकन प्रार्थी ने प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में नहीं किया है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत किया है। चूंकि वर्तमान में उक्त रास्ते पर पहले से ही न्यायालय तहसीलदार में कार्यवाही जैरकार है। कोई भी खातेदार रास्ते को बिना किसी अनुमति के बन्द नहीं कर सकता है तथा अपनी सुविधा अनुसार रास्ते की भूमि की किस्म परिवर्तन नहीं करवा सकता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र खारीज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 28.08.2024को सर इजलास सुनाया जाकर हस्ताक्षरित एवं मुद्राकित किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़ जिला–चूरू
सत्यमेव जयते